सहायता सुविधायें पाने के पात्र नहीं थे। फिर भी 65 परिवारों के मामले में जिनमें 331 व्यक्ति हैं, उनकी दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये उन्हें शिविरों में प्रवेश दे दिया गया था।

वे विस्थापित जिन्हें त्रिपुरा के सहायता शिविरों में प्रवेश दिया गया है उनके बारे में यह निर्णय किया गया है कि जहां तक सम्भव हो, उन्हें पुनर्वास के लिये अन्य राज्यों में भेजा जायेगा क्योंकि त्रिपुरा में और विस्थापितों को बसाने की गुंजाईश कम है।

मोटरों के पहिये चुराने वाला गिरोह

2117. **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने मोटरों के पहिये चुराने वाले चोरों के एक गिरोह का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) हां जी,।

(ख) पिछले नवम्बर में दिल्ली पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था जिनका सम्बन्ध मोटरों के पहिये चुराने वाले एक गिरोह से था। चोरी के 19 टायर और 2 रिम बरामद किये गये। ओरिजिनल रोड और करोल बाग थानों में दर्ज मोटरों के पहियों की चोरी के छः मामलों का पता चल गया। गिरोह के बाकी दो सदस्य अभी गिरफ्तार होने बाकी हैं।

रमेश नगर, दिल्ली में गुंडा गर्दी

2118. **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 नवम्बर, 1965 को रमेश नगर, दिल्ली में कुछ गुण्डों ने एक दुकानदार को छुरा भोंक दिया था ;

(ख) पुलिस ने ऐसे बुरे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है और क्या उनको पकड़ लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 15 और 16 नवम्बर, 1965 के बीच की रात को एक दुकानदार पर उसी इलाके के तीन व्यक्तियों ने लोह के औजारों से आक्रमण किया।

(ख) और (ग). मोतीनगर थाने में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307/34 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है। इन आक्रमणकारियों में से एक को घटना के तुरन्त बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य दो 24-11-65 को। मामला शीघ्र ही अदालती कार्यवाही के लिये भेज दिया जायेगा।

आतिशबाजी के लिये लाइसेंस

2119. **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी और पटाखों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाले कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किये गये हैं ;